

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 16th October, 2007]

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्टूबर, 2007

संख्या 1576-ई०आर०-6-2007/15911.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा के सभी जिलों में निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्थापित करते हैं, अर्थात् :—

1. जिले का उपायुक्त	पदेन सभापति
2. जिला परिषद् का अध्यक्ष	सह सभापति
3. अतिरिक्त उपायुक्त	पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
4. पुलिस जिला अधीक्षक (जिला गुडगांव के लिये पुलिस जिला अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय)	पदेन सदस्य
5. मुख्य चिकित्सा अधिकारी	पदेन सदस्य
6. सम्बद्ध अधीक्षक अभियन्ता लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	सदस्य
7. जिला राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन अधिकारी	सदस्य

2. प्रत्येक जिला आपदा प्राधिकरण का मुख्यालय, जिला के मुख्यालय में होगा।

3. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार जब भी अपेक्षित हो ऐसे समय तथा स्थान पर होगी जो प्राधिकरण का अध्यक्ष ठीक समझे।

4. जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उद्देश्य, शक्तियां तथा कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) जिला प्राधिकरण आपदा प्रबन्धन के लिए जिला योजना समन्वय तथा कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसरण में जिले में आपदा प्रबन्धन के प्रयोजनों के लिए सभी उपाय करेगा।

(2) उप धारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिला प्राधिकरण,—

(i) जिले के लिए जिला रिस्पोन्स योजना सहित आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करेगा;

(ii) राष्ट्रीय नीति, हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन नीति, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना, हरियाणा आपदा प्रबन्धन योजना और जिला आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानीटर करना;

(iii) सुनिश्चित करना कि जिले में आपदा के नाजुक क्षेत्रों की पहचान तथा आपदा की रोकथाम तथा इसके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा जिला स्तर पर तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उपाय प्रारम्भ किये हैं;

(iv) सुनिश्चित करना कि राष्ट्रीय प्राधिकरण और हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित आपदा की रोकथाम, इसके प्रभाव के न्यूनीकरण, तैयारी तथा रिस्पोन्स उपाय के लिए मार्गदर्शनों का जिला स्तर पर सरकार के सभी विभागों तथा जिला के स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा पालन किया जा रहा है;

- (v) जिला स्तर पर विभिन्न विभागों और स्थानीय प्राधिकरणों को यथाआवश्यक आपदा की रोकथाम या न्यूनीकरण के लिए ऐसे अन्य उपाय करने के लिए निर्देश देना;
- (vi) जिला स्तर पर हरियाणा सरकार के विभागों तथा जिले में स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा आपदा प्रबन्धन योजनाओं की रोकथाम के लिए मार्गदर्शन अधिकथित करना;
- (vii) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा, जिला स्तर पर तैयार आपदा प्रबन्धन योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करना;
- (viii) जिला स्तर पर हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शन अधिकथित करना तथा उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना;
- (ix) मद संख्या (viii) में निर्दिष्ट उपायों के कार्यान्वयन को मानीटर करना;
- (x) जिले में किसी आपदा या आपदा की आशंका के समय उसके मुकाबले हेतु राज्य की क्षमताओं का पुनर्विलोकन करना तथा जिला स्तर पर समन्वित विभागों तथा प्राधिकरणों को यथाआवश्यक उनको उन्नत करने हेतु निर्देश देना;
- (xi) जिला स्तर पर सम्बद्ध विभागों या अन्य सम्बद्ध प्राधिकरणों के तत्परता उपायों का पुनर्विलोकन करना तथा निर्देश देना जहां आपदा या आपदा की स्थिति की आशंका में प्रभावशाली मुकाबले के लिए अपेक्षित स्तरों के तत्परता उपायों को पहुंचाने के लिए आवश्यक हों ;
- (xii) आपदा प्रबन्धन हरियाणा के लिए राज्य केन्द्र द्वारा जिले के विभिन्न स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक बचाव कार्यकर्ताओं के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन तथा समन्वित करना ;
- (xiii) स्थानीय प्राधिकरणों, सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से आपदा की रोकथाम या न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जानकारी कार्यक्रमों को सुकर बनाना ;
- (xiv) लोगों को पूर्व चेतावनी तथा उचित सूचना के प्रसार के लिए क्रियाविधि की स्थापना, रख रखाव, पुनर्विलोकन और उन्नत करना;
- (xv) जिला स्तरीय रिस्पोन्स योजना तथा मार्गदर्शन तैयार करना, पुनर्विलोकन करना और उसे अद्यतन करना;
- (xvi) किसी आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा के उत्तर को समन्वित करना;
- (xvii) सुनिश्चित करना कि जिला स्तर पर सरकार के विभागों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जिला रिस्पोन्स योजना के अनुरूप उनकी रिस्पोन्स योजनाएं तैयार करवाना;
- (xviii) किसी आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा के लिए प्रभावशाली रूप के उत्तर में उपाय करने के लिए जिले की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिला स्तर पर सरकार के सम्बद्ध विभागों या अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के लिए मार्गदर्शन अधिकथित करना या उनको निर्देश देना;
- (xix) आपदा प्रबन्धन में लगे जिला स्तर पर सरकार के विभागों, कानूनी निकायों तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों को परामर्श देना, सहायता करना और उनकी गतिविधियों को समन्वित करना;
- (xx) आपदा से पूर्व तथा आपदा के बाद जिले में प्रबन्धन गतिविधियों को तत्कालिक रूप से तथा प्रभावशाली रूप से चलाना, सुनिश्चित करने के लिए जिले में स्थानीय प्राधिकरणों से तालमेल करना तथा उनको मार्गदर्शन देना;
- (xxi) जिले में स्थानीय प्राधिकरणों को उनके कृत्यों के संचालन के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता की व्यवस्था करना या सलाह देना;
- (xxii) आपदा की रोकथाम या न्यूनीकरण के लिए उसमें आवश्यक उपबन्ध करने की दृष्टि से जिला स्तर पर सरकार के विभागों, कानूनी प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन करना;

- (xxiii) जिले में किसी क्षेत्र में निर्माण का निरीक्षण करना और, यदि यह राय हो कि ऐसे निर्माण के लिए अधिकथित आपदा की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए मानदण्डों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है या नहीं किया गया है, तो सम्बद्ध प्राधिकरण को ऐसा कार्य करने के लिए निर्देश देना जो ऐसे मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो;
- (xxiv) ऐसे भवनों तथा स्थानों की पहचान करना, जो आपदा की स्थिति की आशंका या आपदा की घटना में सहायता केन्द्रों या शिविरों के रूप में प्रयोग किये जा सकें तथा ऐसे भवनों या स्थानों में पानी की आपूर्ति तथा स्वच्छता का प्रबन्ध करना;
- (xxv) राहत और बचाव सामग्री के संचयन की व्यवस्था करना या ऐसी सामग्री अल्प अवधि में उपलब्ध करने के लिए तत्परता सुनिश्चित करना;
- (xxvi) हरियाणा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सूचना उपलब्ध करवाना;
- (xxvii) आपदा प्रबन्धन के लिए जिला में निम्न स्तर पर गैर सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक सामाजिक-कल्याण संस्थाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना;
- (xxviii) यह सुनिश्चित करेगा कि संचार प्रणाली उचित अवस्था में है, और आपदा प्रबन्धन की कवायद समय-समय पर चलाई जाती है;
- (xxix) ऐसे अन्य कृत्य करना जो हरियाणा सरकार या हरियाणा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण इसे सौंपे या जो यह जिला में आपदा प्रबन्धन के लिए आवश्यक समझे।
5. जिला प्राधिकरण का सभापति, जिला प्राधिकरण की बैठकों का सभापतित्व करने के अतिरिक्त, जिला प्राधिकरण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो जिला प्राधिकरण उसको प्रत्यायोजित करे।
6. जिला प्राधिकरण का सभापति आपातकाल की दशा में जिला प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिला प्राधिकरण के घटनोत्तर अनुमोदन के अधीन होगा।
7. जिला प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण का सभापति सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा अपनी या उसकी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को उपरोक्त खण्ड 5 या 6 के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, जिला प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को, ऐसी शर्तों तथा परिसीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे, प्रत्यायोजित कर सकता है।
8. जिला प्राधिकरण जब वह आवश्यक समझे एक या अधिक सलाहकार समितियाँ तथा अन्य समितियाँ इसके कृत्यों के कुशल निर्वहन हेतु गठित कर सकता है।
9. जिला प्राधिकरण अपने सदस्यों में से उपरोक्त खण्ड 8 के अधीन निर्दिष्ट समिति का सभापति नियुक्त करेगा।
10. उपरोक्त खण्ड 8 के अधीन गठित की गई किसी समिति या उप-समिति से विशेषज्ञ के रूप में सहयुक्ता किसी व्यक्ति को ऐसे भत्ते दे सकता है जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएं।

धर्मवीर,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 16th October, 2007]

हरियाणा सरकार

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 अक्टूबर, 2007

संख्या 1576-ई०आर०-6-2007/15907.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53), की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण स्थापित करते हैं, अर्थात् :—

1. मुख्य मंत्री, हरियाणा	पदेन सभापति
2. वित्त मंत्री, हरियाणा	सदस्य
3. स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा	सदस्य
4. ग्रामीण विकास तथा पंचायत मंत्री, हरियाणा	सदस्य
5. राज्य मंत्री राजस्व, हरियाणा	सदस्य
6. मुख्य सचिव, हरियाणा	सदस्य तथा पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7. वित्तियुक्त, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, हरियाणा	सदस्य
8. गृह सचिव, हरियाणा	सदस्य
9. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का प्रतिनिधि	सदस्य

2. हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा।

3. हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण ऐसे समय तथा स्थान पर जो अपेक्षित हो तथा प्राधिकरण का अध्यक्ष उचित समझे वर्ष में कम से कम एक बैठक करेगा।

4. हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के उद्देश्य, शक्तियां तथा कृत्य निम्न अनुसार होंगे :—

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य प्राधिकरण राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए नीतियां तथा योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) उप खण्ड (1) में अन्तर्लिखित उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राज्य प्राधिकरण,—

(क) राज्य आपदा प्रबन्धन नीतियां अधिकथित करना;

(ख) राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार राज्य योजना का अनुमोदन करना;

(ग) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई आपदा प्रबन्धन योजनाओं का अनुमोदन करना;

(घ) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं तथा परियोजनाओं में आपदाओं की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए उपायों के एकीकरण के प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने वाले मार्गदर्शन अधिकथित करना तथा उसके लिए आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध करवाना;

(ङ) राज्य आपदा प्रबन्धन योजना के कार्यान्वयन को समन्वित करना;

(च) आपदा प्रबन्धन के लिए उपायों को तत्परता से करने तथा न्यूनीकरण के लिए निधियों के उपबन्ध की सिफारिश करना;

(छ) आपदा की रोकथाम तथा न्यूनीकरण के लिए उसमें आवश्यक उपबन्ध करने के दृष्टिगत जिला स्तर, कानूनी प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरणों में सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गई विकास योजनाओं का पुनर्विलोकन करना;

(ज) हरियाणा सरकार के विभागों द्वारा न्यूनीकरण, निर्माण क्षमता तथा तत्परता के लिए उठाए जा रहे उपायों का पुनर्विलोकन करना तथा ऐसे मार्गदर्शन जारी करना जो आवश्यक हों।

(3) आपातकालीन की दशा में, हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का सभापति प्राधिकरण की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा किन्तु ऐसी शक्तियों का प्रयोग हरियाणा राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा घटनोत्तर अनुसमर्थन के अध्यक्षीन होगा।

धर्मवीर,

वितायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

43136—C.S.—H.G.P., Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette (Extra.), dated the 19th May, 2008]

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 19 मई, 2008

संख्या 1653-ईआर-6-2008/5855.—आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 20 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त उप-धारा के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों को शामिल करते हुए हरियाणा राज्य कार्यकारी समिति गठित करते हैं, अर्थात् :—

- | | |
|--|-------------|
| 1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार | पदेन सभापति |
| 2. वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग | पदेन सदस्य |
| 3. वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
गृह विभाग | पदेन सदस्य |
| 4. वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग | पदेन सदस्य |
| 5. वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग | पदेन सदस्य |

राज्य कार्यकारी समिति की राष्ट्रीय योजना तथा राज्य योजना को लागू करने के लिए जिम्मेवारी होगी तथा राज्य में आपदा प्रबन्धन के लिए समन्वय तथा अनुश्रवण निकाय के रूप में कार्य करेगी।

शक्तियां तथा कृत्य :

राज्य कार्यकारी समिति उक्त अधिनियम की धारा 22 तथा 24 में वर्णित शक्तियों तथा सभी कृत्यों का निर्वहन करेगी।

के० एस० भोरिया,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।